Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Tel. 91-0135-2763673-75

ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून-248001
दूरभाष: 91-0135-2763673-75

(568) (68) (6)

दिनांक : 15 -02-2007

पत्रांक : 636 -निदे0(मा0सं0) / उपाकालि /

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत अनुरक्षण कार्यों में त्वरितता लाने एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं के ससमय निदान हेतु कारपोरेशन में विद्युत अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित कराये जाने विषयक विद्यमान वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त शहरी विद्युत उपस्थानों के विद्युत अनुरक्षण कार्य जैसे - उपभोक्ताओं की शिकायतों / ब्रेक डाउनस का निराकरण, ट्रांसफार्मरों / लाईनों का अनुरक्षण कार्य आदि अनुभवी एवं पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) से भी कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रति उपस्थान विद्युत अनुरक्षण के कार्य कराए जाने हेतु Monthly Retainer Basis पर उपस्थान की स्थिति के आधार पर रू0 20,000-24,000 प्रतिमाह की दर पर स्वयं सहायता समूह (SHG) से खण्ड स्तर पर अनुबन्ध किया जा सकता है, जिसमें प्रति उपस्थान अनुरक्षण कार्य हेतु कम से कम 05 व्यक्ति लगाए जाने की उनपर पूर्ण बाध्यता होगी। मैदानी शहरी क्षेत्रों में स्थित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता एक वर्ष के लिए अपने क्षेत्र में विद्युत अनुरक्षण कार्यों को सम्पादित कराने हेतु स्वयं सहायता समूह के साथ अनुबन्ध के तकनीकी विशिष्टिकरण तथा शर्तें, उपस्थान का नाम तथा स्थिति (Location) आदि का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव बनाकर प्रशासनिक अनुमति हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

बी0एम0 वर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 636 -निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (वित्त), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (मॉनिटरिंग सेल), उपाकालि, श्रीनगर (गढ़वाल)।
4. महाप्रबन्धक (वितरण), गढ़वाल / कुमाऊ क्षेत्र, उपाकालि, देहरादून / हल्द्वानी।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त / आंतरिक सम्प्रेक्षा), उपाकालि, देहरादून / हल्द्वानी।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि, विद्युत वितरण मंडल ....।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण खण्ड ....।

(शरद कृष्ण)
निदेशक (मानव संसाधन)

69

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– 309/VIII/19–228(श्रम)/2001–पार्ट–II

देहरादून, दिनांकः 08 मार्च, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) का खण्ड (i) के सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 352/VIII/13–228 (श्रम)/2001, दिनांक 06 मार्च, 2013 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से उत्तराखण्ड में "वाणिज्यिक अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन' में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	कर्मचारियों की श्रेणी	एक लाख या उससे अधिक आवादी वाले उत्तराखण्ड के नगरों में वयस्क कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)	उत्तराखण्ड के शेष भागों में देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अकुशल	8331	8213
2	अर्द्धकुशल	8924	8788
3	कुशल	9518	9370
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी (क) श्रेणी–एक	10520	10328
	(ख) श्रेणी– दो	9772	9611

टिप्पणी– कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1– विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर होंगी।

2– परिवर्तनीय महंगाई भत्ताः– अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को □ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3– मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4– घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

प्रवीण

330

16/3/19

5— ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तद्नुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6— मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7— जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8— ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9— यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10— किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशलः—

पल्लेदार, पैकर, बन्डलर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, चपरासी, मजदूर, चौकीदार, सफाई मजदूर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशलः—

गोडाउन कीपर, वेमैन, मिस्त्री, साइकिल मरम्मत करने वाला, सोने और चांदी के जेवरों की छिलाई करने वाला, चांदी पकाने वाला, रेजदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। इस श्रेणी में ऐसे कुशलता प्राप्त कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी अर्द्धकुशल कर्मचारी के मार्गदर्शन में हेल्पर या असिस्टेन्ट के रूप में कम से कम 05 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त कर लिया है।

3. कुशल —

ड्राईवर, मशीनमैन, बढई, फिटर, वेल्डर, पेन्टर, इलैक्ट्रिशियन, सोने और चांदी के जेवरों पर नक्काशी करने वाला, सुपरवाईजर, केमिस्ट, मैकेनिक, आपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। इस श्रेणी में ऐसे अर्द्धकुशल कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण और मार्ग दर्शन में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी —

(क) लिपिक श्रेणी—दो— न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, टंकक, लिपिक, विक्रीकर्ता, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, उगाही, तगादगीर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी—एक— न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, विक्री प्रतिनिधि, कम्प्यूटर ऑपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्याः—309 (1)/VIII/19—228(श्रम)/2001—पार्ट—II, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा॰ मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा॰ श्रम मंत्री, को मा॰ श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

72

पत्रांक. 3777 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ (S-IV)/VDA(SHG) दिनांक : 26/10/2023

कार्यालय ज्ञाप

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की अधिसूचना संख्या–3312/4–01/13, दिनांक 26–09–2023 द्वारा दिनांक 01–10–2023 से 31–03–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (VDA) रू0 1700/– (रूपये एक हजार सात सौ मात्र) किए जाने के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों का मानदेय दिनांक 01–10–2023 से 31–03–2024 तक की अवधि हेतु रू0 17,894.16 (रूपये सत्रह हजार आठ सौ चौरानवे एवं सोलह पैसे मात्र) (सर्विस चार्जेस, जी0एस0टी0, इंश्योरेन्श इत्यादि को सम्मिलित करते हुए) निर्धारित किया जाता है। मानदेय का पूर्ण विवरण संलग्नक – 'अ' पर संलग्न है।

आदेश के निर्गमन के पश्चात स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों का मानदेय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित राज्य में लागू न्यूनतम मानदेय से कम न होना सुनिश्चित करने के साथ ही प्रश्नगत कार्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा/इंश्योरेन्श आदि नियमानुसार दिये जाने का उत्तरदायित्व भी सम्बन्धित इकाई/खण्ड/मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालयों के आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 3777 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ (S-IV)/VDA(SHG)/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर स्तर–1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/परियोजना/परिचालन), उपाकालि, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II) उ0पा0का0लि0 ....।
4. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त)/(विधि एवं कम्पनी सचिव), उपाकालि, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता (का0मे0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

क्रमशः.....(2)

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ–3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के अंक 301 के ऊपर वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ **20** प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार **जनवरी, 2023 से जून, 2023** के औसत सूचकांक **386** पर दिनांक **01–10–2023 से 31–03–2024** तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नवत् होगा :–

(**386**–301) × 20= **1700.00**

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू०
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वाणिज्य अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन	309 / VIII / 19–228 (श्रम) / 2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	**1700.00**
2.	सडकों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन	310 / VIII / 19–228 (श्रम) / 2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	**1700.00**
3.	पत्थर तोडने या पत्थर कूटने में नियोजन।	311 / VIII / 19–228 (श्रम) / 2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	**1700.00**
4.	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	**1700.00**
5.	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	**1700.00**
6.	आइसकैन्डी / आईस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	**1700.00**
7.	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	**1700.00**
8.	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	**1700.00**
9.	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	**1700.00**
10.	लाण्ड्री या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव	**1700.00**
11.	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	**1700.00**
12.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	**1700.00**
13.	पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	**1700.00**

क्रमशः...2

14.	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी है) के उद्योग में नियोजन	312/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
15.	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
16.	मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
17.	वासित पेयों (एस्टेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	1700.00
18.	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1700.00
19.	परतदार लकडी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
20.	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	1700.00
21.	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव	1700.00
22.	सिले सिलाए कपडों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1700.00
23.	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	तदैव	1700.00
24.	प्राईवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राईवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	1700.00
25.	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
26.	धातु उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
27.	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
28.	ऐसे अभिनियत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।	तदैव	1700.00
29.	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	1700.00
30.	कपडा छपाई में नियोजन	313/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
31.	क्लबों मे नियोजन	314/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
32.	निजी मुद्रणालयों मे नियोजन	315/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00

क्रमशः...3

75

33.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	316/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
34.	उत्तराखण्ड में यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।	तदैव	1700.00
35.	उत्तराखण्ड में आटोमोबाईल रिपेयर्स में नियोजन।	तदैव	1700.00
36.	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	317/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
37.	सिलाई उद्योग में नियोजन	318/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
38.	एलोपैथिक, आर्युवेदिक और यूनानी फार्मेसियों में नियोजन	319/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
39.	छोटा मिनियेचन बल्व एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मे की शीशे और कांच की चूडी बनाने के उद्योग को छोडकर) में नियोजन।	320/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
40.	धर्मशालाओं में नियोजन	321/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
41.	निजी पुस्तकालयों मे नियोजन	322/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
42.	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	323/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
43.	प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राईवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राईवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।	324/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
44.	चाय बागान में नियोजन	325/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
45.	हौजरी उद्योग मे नियोजन	326/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
46.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	327/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
47.	किसी तेल मिल मे नियोजन	तदैव	1700.00
48.	किसी रोलर आटा मिल में नियोजन	तदैव	1700.00
49.	वनिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ट कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन	328/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
50.	ईट भट्टा उद्योग में नियोजन	329/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00

क्रमशः...4

51.	काष्ट कार्य और फर्नीचर में नियोजन	330/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
52.	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	331/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
53.	कालीन बुनाई में नियोजन	332/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
54.	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	333/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
55.	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदैव	1700.00
56.	खाण्डसारी में नियोजन	तदैव	1700.00
57.	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन	334/VIII/19–228 (श्रम)/2001 –पार्ट–II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या :3312 /4–01/13 दिनांक :26-9-23

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

1– अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2– उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।

3– उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

4– उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।

5– उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक. 2907 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ (S-IV)/VDA(SHG) दिनांक : 04/07/26

कार्यालय ज्ञाप

श्रम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–286/VIII-1/24-228(श्रम)/2001–पार्ट–II देहरादून दिनांक 15 मार्च, 2024 जिसके द्वारा पूर्व में जारी श्रम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 309/VIII/19–228 (श्रम)/2001 दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिकमित करते हुए मजदूरी की न्यूनतम पुनरीक्षित दर रू0 14,023 प्रतिमाह की गयी है एवं श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (VDA) हेतु दिनांक 23–04–2026 को जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, अधिसूचना संख्या–1200/4–01/2024 दिनांक 23–04–2026, अधिसूचना संख्या–1201/4–01/2024 दिनांक 23–04–2026, अधिसूचना संख्या–1202/4–01/2024 दिनांक 23–04–2026 एवं अधिसूचना संख्या–1203/4–01/2024 दिनांक 23–04–2026 के अनुसार सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों का मानदेय (सर्विस चार्जेस, जी0एस0टी0, इंश्योरेन्श इत्यादि को सम्मिलित करते हुए) निर्धारित किया जाता है। मानदेय का पूर्ण विवरण **संलग्नक – 1 से 5** पर संलग्न है।

आदेश के निर्गमन के पश्चात स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों का मानदेय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित राज्य में लागू न्यूनतम मानदेय से कम न होना सुनिश्चित करने के साथ ही प्रश्नगत कार्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा/इंश्योरेन्श आदि नियमानुसार दिये जाने का उत्तरदायित्व भी सम्बन्धित इकाई/खण्ड/मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालयों के आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 2907 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ (S-IV)/VDA(SHG)/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर स्तर–1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/वितरण एवं परियोजना), उपाकालि, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II) उ0पा0का0लि0 .... ।
4. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त) उपाकालि, देहरादून।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, ... ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ... ।
7. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता (का0में0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

76(2)

संलग्नक – 1

PAY CHART

PAY CHART (From 01-04-2024 to 30-09-2024)

EARNINGS	
BASIC PAY	14023.00
VDA	0.00
Total (A)	**14023.00**
HRA- 10% of (A)	1402.30
BONUS	575.66
Total (B)	**16000.96**
Deduction From Employee	
E.P.F 12% of (A)	1682.76
ESI 0.75% of (B)	120.01
Total (C)	**1802.77**
Cash in Hand to Employee Total (B) - (C) = (D)	**14198.19**
Employer's Contribution	
E.P.F 13.01% of (A)	1824.39
ESI 3.25% of (B)	520.03
Total (E)	**2344.42**
Total (B+E) = (F)	**18345.38**
Sevice Charge 2.5% of (F) (G)	458.63
Total (F+G) = (H)	**18804.02**
G.S.T. 18% OF (H) (I)	3384.72
CTC = Total of (B+E+G+I)	**22188.74**
Twenty Two Thousand One Hundred Eighty Eight and Seventy Four Paise Only	

(राजेश मीर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

76(3)

संलग्नक – 2

अधिसूचना संख्या–1200/4–01/2024 दिनांक 23–04–2026 के अनुसार

PAY CHART

PAY CHART (From 01-10-2024 to 31-03-2025)

EARNINGS	
BASIC PAY	14023.00
VDA	58.00
Total (A)	**14081.00**
HRA- 10% of (A)	1408.10
BONUS	575.66
Total (B)	**16064.76**
Deduction From Employee	
E.P.F 12% of (A)	1689.72
ESI 0.75% of (B)	120.49
Total (C)	**1810.21**
Cash in Hand to Employee Total (B) - (C) = (D)	**14254.55**
Employer's Contribution	
E.P.F 13.01% of (A)	1831.94
ESI 3.25% of (B)	522.10
Total (E)	**2354.04**
Total (B+E) = (F)	**18418.80**
Sevice Charge 2.5% of (F) (G)	460.47
Total (F+G) = (H)	**18879.27**
G.S.T. 18% OF (H) (I)	3398.27
CTC = Total of (B+E+G+I)	**22277.54**
TwentyTwo Thousand Two Hundred Seventy-Seven and Fifty-Four Paise Only	

(राजेश मौर्य)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

76(4)

संलग्नक – 3

अधिसूचना संख्या–1201/4-01/2024 दिनांक 23-04-2026

PAY CHART

PAY CHART (From 01-04-2025 to 30-09-2025)

EARNINGS	
BASIC PAY	14023.00
VDA	288.00
Total (A)	**14311.00**
HRA- 10% of (A)	1431.10
BONUS	575.66
Total (B)	**16317.76**
Deduction From Employee	
E.P.F 12% of (A)	1717.32
ESI 0.75% of (B)	122.38
Total (C)	**1839.70**
Cash in Hand to Employee Total (B) - (C) = (D)	**14478.06**
Employer's Contribution	
E.P.F 13.01% of (A)	1861.86
ESI 3.25% of (B)	530.33
Total (E)	**2392.19**
Total (B+E) = (F)	**18709.95**
Sevice Charge 2.5% of (F) (G)	467.75
Total (F+G) = (H)	**19177.70**
G.S.T. 18% OF (H) (I)	3451.99
CTC = Total of (B+E+G+I)	**22629.68**
Twenty Two Thousand Six Hundred Twenty Nine and Sixty-Eight Paise Only	

(राजेश भोरे)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

76(5)

संलग्नक – 4

अधिसूचना संख्या–1202/4–01/2024 दिनांक 23–04–2026

PAY CHART

PAY CHART (From 01-10-2025 to 31-03-2026)

EARNINGS	
BASIC PAY	14023.00
VDA	288.00
Total (A)	**14311.00**
HRA- 10% of (A)	1431.10
BONUS	575.66
Total (B)	**16317.76**
Deduction From Employee	
E.P.F 12% of (A)	1717.32
ESI 0.75% of (B)	122.38
Total (C)	**1839.70**
Cash in Hand to Employee Total (B) - (C) = (D)	**14478.06**
Employer's Contribution	
E.P.F 13.01% of (A)	1861.86
ESI 3.25% of (B)	530.33
Total (E)	**2392.19**
Total (B+E) = (F)	**18709.95**
Sevice Charge 2.5% of (F) (G)	467.75
Total (F+G) = (H)	**19177.70**
G.S.T. 18% OF (H) (I)	3451.99
CTC = Total of (B+E+G+I)	**22629.68**
Twenty Two Thousand Six Hundred Twenty-Nine and Sixty-Eight Paise Only	

(राजेश भोरे)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

75 (6)

संलग्नक – 5

अधिसूचना संख्या–1203/4–01/2024 दिनांक 23–04–2026

PAY CHART
PAY CHART From 01-04-2026

EARNINGS	
BASIC PAY	14023.00
VDA	518.00
Total (A)	**14541.00**
HRA- 10% of (A)	1454.10
BONUS	575.66
Total (B)	**16570.76**
Deduction From Employee	
E.P.F 12% of (A)	1744.92
ESI 0.75% of (B)	124.28
Total (C)	**1869.20**
Cash in Hand to Employee Total (B) - (C) = (D)	**14701.56**
Employer's Contribution	
E.P.F 13.01% of (A)	1891.78
ESI 3.25% of (B)	538.55
Total (E)	**2430.33**
Total (B+E) = (F)	**19001.09**
Sevice Charge 2.5% of (F) (G)	475.03
Total (F+G) = (H)	**19476.12**
G.S.T. 18% OF (H) (I)	3505.70
CTC = Total of (B+E+G+I)	**22981.82**
Twenty Two Thousand Nine Hundred Eighty One and Eighty Two Paise Only	

(राजेश भौर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः–286/VIII-1/24–228(श्रम)/2001–पार्ट–II
देहरादून, दिनांकः 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या– 11 सन् 1948) की धारा– 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा–3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 309/VIII/19–228(श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में ''वाणिज्यिक अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड के दुकानों मे नियोजन' में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	कर्मचारियों की श्रेणी	एक लाख या उससे अधिक आवादी वाले उत्तराखण्ड के नगरों में वयस्क कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)	उत्तराखण्ड के शेष भागों में देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अकुशल	12539	12391
2	अर्द्धकुशल	13280	13110
3	कुशल	14023	13838
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी (क) श्रेणी–एक	15275	15035
	(ख) श्रेणी– दो	14340	14139

टिप्पणी– कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1– विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर होंगी।

2– **परिवर्तनीय महंगाई भत्ताः**– अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3– मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4– घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5– ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

क्रमशः – (2)

CamScanner

6— मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7— जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट ... के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8— ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा—13 की उपधारा—(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9— यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10— किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशलः—

पल्लेदार, पैकर, बन्डलर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, चपरासी, मजदूर, सफाई मजदूर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशलः—

गोडाउन कीपर, वेमैन, मिस्त्री, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार, साइकिल मरम्मत करने वाला, सोने और चांदी के जेवरों की छिलाई करने वाला, चांदी पकाने वाला, रेजदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। इस श्रेणी में ऐसे कुशलता प्राप्त कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी अर्द्धकुशल कर्मचारी के मार्गदर्शन में हेल्पर या असिस्टेन्ट के रूप में कम से कम 05 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त कर लिया है।

3. कुशल —

ड्राईवर, मशीनमैन, बढई, फिटर, वेल्डर, पेन्टर, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित, इलैक्ट्रिशियन, सोने और चांदी के जेवरों पर नक्काशी करने वाला, सुपरवाईजर, केमिस्ट, मैकेनिक, आपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। इस श्रेणी में ऐसे अर्द्धकुशल कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण और मार्ग दर्शन में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी —

(क) लिपिक श्रेणी—दो— न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, टंकक, लिपिक, विक्रीकर्ता, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, उगाही, तगादगीर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

क्रमशः....(3)

CamScanner

(ख) लिपिक श्रेणी–एक– न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, विक्री प्रतिनिधि, कम्प्यूटर ऑपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्याः– 286 (1)/VIII-1/24–228(श्रम)/2001–पार्ट–II, तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

वेबसाइट अपलोड हेतु प्राप्त हुआ
दि.- 02/05/24

आज्ञा से,
(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

CS CamScanner

(6) (77)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

पत्रांक: —निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0—एच (संविदा)

दिनांक : 14/07/2023

कार्यालय—ज्ञापन

एतदद्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के माध्यम से कार्योजित आउटसोर्स कार्मिकों को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 की निदेशक मण्डल की दिनांक 10—06—2023 को सम्पन्न 110वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या—110.14 में पारित प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0पा0का0लि0 में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों को उपनल कार्मिकों की भांति शासनादेश संख्या 1386/XVII-C-1/2021-9(17)2004 टी0सी0—2 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार प्रतिमाह संशोधित प्रोत्साहन भत्ता त्रैमासिक आधार पर स्वीकृत किया जाता है:—

विवरण	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि
कार्मिकों को देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	रू0 4800.00 प्रतिमाह	रू0 5800.00 प्रतिमाह
सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत	रू0 120.00	रू0 145.00
योग	रू0 4920.00	रू0 5945.00
जी0एस0टी0 18 प्रतिशत	रू0 886.00	रू0 1070.00
मुख्य नियोक्ता द्वारा देय कुल राशि	रू0 5806.00	रू0 7015.00

साथ ही यदि भविष्य में शासन द्वारा प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी/संशोधन किया जाता है तो वह स्वतः ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों पर स्वतः ही लागू हो जायेगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक :— 2404 —निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0—एच (संविदा)/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. वरिष्ठ अधिशासी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II),उपाकालि, ...।
4. महाप्रबन्धक (विधि)/कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), ...
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(आर0 जे0 मलिक)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

संख्या : 1386/XVII-C-1/2021-01(12)2004 टी.सी.-2

प्रेषक,

मेजर योगेन्द्र यादव
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) देहरादून।

देहरादून : दिनांक : 21 अक्टूबर 2021

सैनिक कल्याण अनुभाग

विषय :- उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 201/XVII-5/10-00(17)2004 टी.सी.-1 दिनांक 22 जुलाई, 2010 द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों की समस्त श्रेणियों में उन्हें पूर्व से अनुमन्य मानदेय के अतिरिक्त वैकल्पिक आधार पर अतिरिक्त धनराशि के रूप में मिलने [illegible] प्रोत्साहन भत्ते में अभिवृद्धि करते हुए, नियमानुसार प्रतिमाह वाले रु0 2000/- प्रतिमाह मूल प्रोत्साहन भत्ते में अभिवृद्धि करते हुए [illegible] वैकल्पिक आधार पर अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

विवरण	10 वर्ष तक की अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	10 वर्ष से अधिक की अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि
कार्मिकों को देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	रु0 4800.00 प्रतिमाह	रु0 5800.00 प्रतिमाह
सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत	रु0 120.00	रु0 145.00
योग—	रु0 4920.00	रु0 5945.00
जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	रु0 886.00	रु0 1070.00
कुल नियोक्ता द्वारा देय कुल राशि	रु0 5806.00	रु0 7015.00

2. उपर्युक्त अभिवृद्धि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

.....2

79

-2-

3. यह आदेश वित्त विभाग, अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या-182(पी0)XXVII(3)/2021 दिनांक 18-10-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विजय कुमार यादव)
अपर सचिव।

संख्या : 1384(1)/XVII-C-1/2021-9(17)2004 टीसी-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. एन.आई.सी.।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

(80)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

पत्रांक. —निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0—एच(संविदा) दिनांक : 01/05/2023

कार्यालय—ज्ञापन

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के माध्यम से कार्योजित आउटसोर्स कार्मिकों को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 की निदेशक मण्डल की दिनांक 21—02—2023 को सम्पन्न 109वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या—109.12 में पारित प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 609/I(2)/2023—05—34/2014 दिनांक 25 अप्रैल, 2023 द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुपालन में ऊर्जा क्षेत्र में "स्वयं सहायता समूह(एस0एच0जी0)" के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों का कार्य विशेष प्रकृति का होने" को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) कार्मिकों को "विशेष ऊर्जा भत्ता" निम्नवत् श्रेणी में दिए जाने की सहर्ष स्वीकृत के आदेश निर्गत किए जाते हैः—

क0सं0	कार्मिकों की श्रेणी	कुल विशेष ऊर्जा भत्ता प्रतिमाह (टेक्स अतिरिक्त)
01	02	03
01	कुशल	रु0 800/—

* विशेष ऊर्जा भत्ते पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक :— 1507 —निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0—एच (संविदा)/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वरिष्ठ अधिशासी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II),उपाकालि, ...।
4. महाप्रबन्धक (विधि)/कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), ...
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(डी0 एस0 खाती)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

80(1)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 87 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-IV/संविदा दिनांक : 07/01/2026

कार्यालय–ज्ञाप

उ0पा0का0लि0 की निदेशक मण्डल की दिनांक 04–12–2025 को सम्पन्न 126वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा निदेशकों की समिति (COD) तथा Nomination & Remuneration कमेटी की संस्तुति के कम में लिये गये निर्णय अनुसार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्योजित कर्मियों को वर्तमान में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1407–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ अनु0–एच(संविदा) दिनांक 01.05.2023 द्वारा देय **"विशेष ऊर्जा भत्ते"** की दरों में निम्नानुसार बढ़ोत्तरी किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र0सं0	कार्मिकों की श्रेणी	पूर्व में देय विशेष ऊर्जा भत्ते की दर (प्रतिमाह)	बढ़ोत्तरी (प्रतिमाह)	विशेष ऊर्जा भत्ते की दर बढोत्तरी पर (प्रतिमाह)
1	कुशल	रू0 800 प्रतिमाह	रू0 300/–	रू0 1100/–

* विशेष ऊर्जा भत्ता पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन के माह से प्रभावी होगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक :– 87 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ S-IV/संविदा /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना), उ0पा0का0लि0, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (विधि), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II),उपाकालि, ...।
6. समस्त महाप्रबन्धक/(वित्त), उपाकालि, ...।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

(81)

पत्रांक. —निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा दिनांक : 5/10/2021

कार्यालय—ज्ञापन

एतद्द्वारा उ0पा0का0लि0 की निदेशक मण्डल की 99 वीं बैठक दिनांक 23—09—2021 के एजेण्डा संख्या 99.09 में पारित प्रस्ताव के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में बाह्य एजेन्सी (उपनल एवं एस0एच0जी0) के माध्यम से संविदा पर कार्योजित आउटसोर्सिंग सभी तृतीय श्रेणी के परिचालकीय— टी0जी0—।।/एस0एस0ओ0 एवं परिचालकीय— चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को जो 33 के0वी0 विद्युत उपस्थानों में पाली (Shift) में कार्य कर रहे हैं तथा रात्रि 'पाली (Shift) भत्ता' हेतु निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करते है, को 'पाली (Shift) भत्ता अनुमन्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र.सं.	बाह्य एजेन्सी (उपनल एवं एस0एच0जी0) के परिचालकीय कर्मचारियों की श्रेणी	पाली भत्तें की प्रस्तावित दरें (रू0 प्रतिमाह)	अनुपस्थिति की स्थिति में कटौती (रू0 प्रति पाली)
1.	तृतीय श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी	585/—	75/—
2.	चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी	360/—	45/—

* पाली भत्ते पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगें। कारपोरेशन में पाली भत्ता अनुमन्यता सम्बन्धी निर्गत आदेश में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :—3256 —निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/संविदा/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपनल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/मा0सं0/परिचालन/परियोजना), उपाकालि, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II),उपाकालि, ...।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), ...
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
8. संयोजक, उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(के0बी0 चौबे)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)(प्र0)

(8) (82)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक– /निदेशक (मा0सं0)/उपाकालि/अनु–एच (संविदा) दिनांक : 12/04/2023

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2)/(जानपद)
समस्त महाप्रबन्धक (वित्त),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक/
समस्त अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
....

विषय :– स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के माध्यम से संविदा पर कार्योजित कार्मिकों को आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0पा0का0लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 21–02–2023 को सम्पन्न 109वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या–109.13 में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अध्यक्ष, उ0पा0का0लि0 के अनुमोदन दिनांक 29–03–2023 के उपरान्त उ0पा0का0लि0 में स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों को उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों की भांति शासनादेश संख्या 323/XVII-3/13-09(17)/2004 दिनांक 12 जून, 2013 के प्रस्तर–7 में दी गयी व्यवस्था, के तहत् साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03–राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस) तथा 12 दिन आकस्मिक अवकाश सवेतन, इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाता है कि यदि कार्यालय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्योजित कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(डी0 एस0 खाती)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांक :– 1146 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु–एच (संविदा)/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ अधिशासी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0 सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/वित्त/परियोजना) उपाकालि, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (विधि)/कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता (का0मे0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र को कारपोरेशन की विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(डी0 एस0 खाती)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)